जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन सम्पर्क अनुभाग)

प्रेस–विज्ञप्ति

विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना
बकाया राशि चुकाने पर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट
योजना की अवधि 31 मार्च तक

जयपुर, 20 मार्च। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता जिनका बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2011 से पूर्व राशि नही जमा कराने के कारण स्थाई रुप से कट गया है उनके लिए विद्युत वितरण निगमों में बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने की एमनेस्टी योजना चल रही है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता 31 मार्च, 2012 तक उठा सकेगें।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री कुंजीलाल मीणा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रुप से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद बिजली कनेक्शनों पर बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी की समस्त राशि की छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होने बताया कि बकाया राशि किश्तों में स्वीकार नही की जाएगी।

उन्होने बताया कि योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगा जिनके प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं तथा वे उन्हे वापस लेने की अण्डरटेकिंग देंगे।

श्री मीणा ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े औधोगिक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशि जमा कराने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन कर राशि जमा करानी होगी। बड़े औधोगिक उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी (एचटीबी) के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

उन्होने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तुरन्त ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी बकाया राशि सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा दें।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 290/2012